सं./No. 1/7/2011-वीएस –सीआरएस **हिन्दी रूपान्तर**

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय/ MINISTRY OF HOME AFFAIRS
भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय
OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA
जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खण्ड-1, राम कृष्ण पुरम्, नई दिल्ली - 110066
V.S. Division, West Block - 1, R.K. Puram, New Delhi – 110066
दूरभाष/ फैक्स Tel /Fax – 26104012, E-mail – drg-crs.rgi@censusindia.gov.in

दिनांक : 24-02-2016

सेवा में,
समस्त राज्यों/ केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु

विषय :- संस्थानों के माध्यम से गोद लिए गए बच्चे के जन्म प्रमाण-पत्र में जन्म के स्थान का उल्लेख करने के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

इस कार्यालय के संज्ञान में यह बात आई है कि संस्थाओं के माध्यम से गोद लिए गए बच्चों के लिए जारी जन्म प्रमाण पत्र में अधिकांश मामलों में जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे के जन्म स्थान के रूप में संस्था का नाम शामिल है। यह गोद लेने के रिकॉर्ड के लिए बनाए जाने वाली गोपनीयता की भावना के विरुद्ध है । दत्तक ग्रहण एजेंसी का नाम बच्चे के जन्म स्थान के रूप में दिखाने से यह स्पष्ट हो जाता है कि जन्म प्रमाण पत्र गोद लिए गए बच्चे का है।

2. इस संबंध में, आपका ध्यान इस कार्यालय द्वारा जारी सम संख्यक पत्र दिनांक 12 मार्च, 2012 की ओर दिलाया जाता है जिसमें पैरा 1 (i) पर स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि "जिस स्थान पर दत्तक ग्रहण एजेंसी स्थित है" को बच्चे के जन्म स्थान के रूप में माना जाएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि दत्तक ग्रहण एजेंसी का नाम जन्म स्थान के रूप में लिखा जाए। इसके अलावा, यह भी स्पष्ट है कि पत्र के पैरा 3 (क) पर, दत्तक माता-पिता या दत्तक बच्चे शब्द को जन्म प्रमाण पत्र में परिलक्षित नहीं किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि दत्तक माता-पिता का नाम जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे के पिता और माता के नाम के कॉलम के सामने जैविक माता-पिता की तरह लिखा जाए।

3. उपरोक्त बिंदुओं पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि जिन संस्थानों में बच्चे के जन्म स्थान की जानकारी नहीं है, वहां दत्तक ग्रहण एजेंसी का नाम उक्त बच्चे के जन्म स्थान

के रूप में नहीं बताया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में, "शहर का नाम/स्थान" जहां एजेंसी स्थित है, उसे बच्चे के जन्म स्थान के रूप में लिखा जाएगा। इस तरह के जन्म उस क्षेत्र के रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकृत किए जाएंगे जहां दत्तक ग्रहण एजेंसी स्थित है। उक्त जन्म दत्तक ग्रहण आदेश एवं दत्तक ग्रहण विलेख के आधार पर और फार्म संख्या 1ए में भरे गए विवरण के आधार पर पंजीकृत किया जाएगा।

4. इस संबंध में, आपसे अनुरोध है कि राज्य के सभी पंजीकरण पदाधिकारियों को उपरोक्त निर्देश प्रसारित किए जाएं ताकि गोद लिए गए बच्चे का उचित जन्म प्रमाण पत्र बिना किसी भ्रम के जारी किया जा सके ।

भवदीय,

(पी.ए. मिनी)
उप महारजिस्ट्रार (सीआरएस)

’

“Ensure Registration of Every Birth and Death”